

ग्राम :
ई-नेल

फोन :
फैक्स :

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय
गाजियाबाद

संख्यांक: 1566/12-13

तारीख: 6/8/2012

पत्राचार

आर्य बन्धु पाब्लिक स्कूल
आर्य नगर इलाहाबाद गाजियाबाद

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29.10.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला शिक्षा अधिकारी

को तारीख 1-7-2012 से तारीख 30-6-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अनर्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। १ अंग्रेजी माध्यम १

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

Sadat Nagar Ila, Dasna, Gzb. (U.P.)

MANAGER

Arya Bandhu Public School
Sadat Nagar Ila, Dasna, Gzb. (U.P.)

